भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2146
सोमवार, 2 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक)

बेरोजगारी के कारण आत्महत्या

2146. कुंवर दानिश अलीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बेरोजगारी के कारण देश में कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार आत्महत्या के कितने मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं; और
(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अकाल मौतों और आत्महत्याओं पर सांख्यिकीय आंकड़े गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को रिपोर्ट किए जाते हैं। एनसीआरबी अपने प्रकाशन 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया' (एडीएसआई) शीर्षक से अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं पर सूचनाओं का संकलन और प्रसार करता है। बेरोजगारी के कारण पंजीकृत आत्महत्याओं की राज्य-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता रही है। भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों कदम उठाए हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनःबहाली हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। ईपीएफओ द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।

नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्व में 01.04.2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) को आरंभ किया गया था।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार देश में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित की जा रही, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना हैं।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

भारत सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने और रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए 13 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भी प्रारंभ की है।

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 02.08.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2146 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2016 से 2019 तक बेरोजगारी के कारण दर्ज आत्महत्या के मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार	दर्ज मामले			
	2016	**2017**	**2018**	**2019**
आंध्र प्रदेश	36	55	44	71
अरुणाचल प्रदेश	1	0	6	0
असम	210	169	156	155
बिहार	0	6	0	8
छत्तीसगढ	45	9	34	16
गोवा	15	13	6	19
गुजरात	295	263	318	219
हरियाणा	50	36	154	13
हिमाचल प्रदेश	12	40	94	64
जम्मू और कश्मीर	8	11	39	40
झारखंड	44	108	154	232
कर्नाटक	224	375	464	553
केरल	127	156	147	81
मध्य प्रदेश	100	49	44	57
महाराष्ट्र	403	379	394	452
मणिपुर	0	0	1	3
मेघालय	4	1	4	7
मिजोरम	0	0	2	0
नागालैंड	5	0	1	1
उड़ीसा	88	21	34	17
पंजाब	22	23	26	74
राजस्थान	42	53	55	117
सिक्किम	7	13	8	12
तमिलनाडु	259	357	251	251
तेलंगाना	24	45	40	56
त्रिपुरा	34	0	0	0
उत्तर प्रदेश	76	58	63	156
उत्तराखंड	4	1	7	0
पश्चिम बंगाल	109	95	75	40
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	1	0	1
चंडीगढ़	8	1	14	9
दादर एवं नगर हवेली	3	0	0	0
दमन और दीव	1	3	3	0
दिल्ली (यूटी)	41	58	98	118
लक्षद्वीप	0	0	0	0
पुडुचेरी	0	5	5	9
योग	**2298**	**2404**	**2741**	**2851**

स्रोत: भारत में अकाल मृत्यु और आत्महत्या, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो